प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

01.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आउटसोर्स पर तैनात कर्मी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, और सरकार का जॉब सिक्योरिटी व दीर्घकालिक संविदा नीति बनाने का कोई विचार नहीं है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विधानसभा में विधायक प्रकाश राणा और डॉक्टर जनकराज के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर लगभग 13 हज़ार कर्मचारी कार्यरत्त हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024–25 के वास्तविक खर्च के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत नियमित कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर मासिक एक हज़ार एक सौ 72 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर वार्षिक 14 हज़ार 62 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन व अन्य सुविधाओं के लिए मासिक 19 करोड़ रूपए और वार्षिक 2 सौ 24 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं।

पंचायत रोस्टर

प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर में 5 फीसदी बदलाव की शक्तियां प्रदान करने पर आज विधानसभा में हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने इस संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का विरोध किया और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा की ओर से विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस प्रस्ताव को प्रश्नकाल के बाद देखने की बात कही। इस पर विपक्ष ने विरोध किया और अध्यक्ष से इस प्रस्ताव पर निर्णय लेकर चर्चा करवाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इस स्थगन प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा हुई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी–अपनी बात रखी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी देना अनिवार्य नहीं है। इस पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब नगर निगम और अन्य शहरी निकायों के चुनावों में इस तरह का प्रावधान लागू नहीं किया गया, तो पंचायत चुनावों में इसे लागू करने का औचित्य क्या है।

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर मुद्दे पर वॉकआउट करती है और पंचायतों में आरक्षण से छेड़छाड़ की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

एंट्री टैक्स

एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सीमाओं में आवाजाही को पूरी तरह से ठप्प कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि पांच और 12 सीटर वाहनों के एंट्री टैक्स में जो दरें बढ़ाई गई थी उसका युक्तिकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————